निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध–II

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित सुशासन से सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करते समय, सही अर्थों में कानून का अक्षरशः अनुपालन करते समय और धन के प्रभावी प्रबंधन तथा वितरण के लिए सैद्धांतिक मानकों का अनुपालन करते समय ऐसी कॉरपोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही अभिप्रेत है, जिससे कोई भी संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रक्रियाएं एक अच्छी तरह से शासित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन की नींव तैयार करती हैं। निगमित सुशासन की मूल भावना स्थाई आधार पर कंपनी के सभी स्टेकहोल्डरों के लिए दीर्घकालिक मूल्यवर्धन की दिशा में प्रयास करते हुए प्रबंधन के कार्यसंचालन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और उसे बनाए रखने में निहित होती है।

हम आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") में सर्वोत्तम अभिज्ञात निगमित सुशासन प्रथाओं को अपनाने, उनका अनुपालन करने और इस प्रकार की प्रथाओं की तुलना में अपने क्रियाकलापों की बैंचमार्किंग करने में विश्वास करते हैं। हम सभी स्टेकहोल्डरों को अपनी सफलता में भागीदार मानते हैं और हम उनके अधिकतम मूल्यवर्धन के लिए प्रतिबद्ध बने रहते हैं, चाहे वे निवेशक, शेयरधारक, बॉंडधारक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, समुदाय, नीति निर्माता अथवा कर्मचारी क्यों न हों। आरईसी केवल कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी (एलओडीआर) दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियम", के अंतर्गत निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षा को ही पूरा नहीं करता, बल्कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश, 2010 ("निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश") और भारतीय कंपनी सचिव स्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों ("सचिवालयी मानक") का भी पालन करता है और ज्यादातर गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है और उसके बाद सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निगमित सुशासन के संबंध में प्रमाण–पत्र भी दिया गया है।

1. निगमित सुशासन संबंधी कंपनी का सिद्धांत (दर्शन)

आरईसी में निगमित सुशासन व्यापारिक गतिविधियों के सैद्धांतिक और उत्तरदायी ढंग से प्रबंधन से जुड़ा है जो मौजूदा नियमाक ढांचे के अंतर्गत पणधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन के लिए प्रेरित है। कंपनी का विश्वास है कि उसे विश्व भर में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनायी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाना है। कंपनी के पास निष्पक्ष, पारदर्शी और सैद्धांतिक सुशासन प्रक्रियाओं की एक मजबूत विरासत उपलब्ध है। स्वतंत्रता, जवाबदेही, उत्तरादियत्व, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और निष्पक्ष एवं समय पर प्रकटन इत्यादि के महत्वपूर्ण सिद्धांत कंपनी के निगमित शासन के सिद्धांत को सही मायने में अक्षरशरू कार्यान्वित करने के लिए साधनों के रूप में कार्य करते हैं। एक गतिशील व्यापारिक वातावरण की चुनौतियों को पूरा करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और ढांचों की नियमित रूप से समीक्षा एवं उन्नयन किया जाता है।

*वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए **'पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2018'** प्रदान किया गया*

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी को भारतीय वाणिज्य चैंबर (आईसीसी) द्वारा निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए नवरत्न और महारत्न श्रेणी में उपविजेता के रूप में **'पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2018'** प्रदान किया गया। पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए आईसीसी द्वारा शुरू किया गया है। आरईसी को यह पुरस्कार एक जटिल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है।

आरईसी में निगमित सुशासन ढांचा निम्नलिखित मार्गदर्शी सुशासन सिद्धांतों पर आधारित हैः

- कानून, नियमों और विनियमों का सही अर्थ में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त पणधारकों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित प्रणालियां और परिपाटियां अपनाना; और
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न शेयरधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैंः

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना;
- सभी अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे ग्राहक, कर्मचारी और व्यापक रूप से समाज के हितों की रक्षा करना;
- पत्राचार में पारदर्शिता और निष्ठा सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को पूर्ण, सटीक एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना;
- कार्य निष्पादन और ग्राहक की सेवा के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना; और
- अन्य को प्रेरित करने के लिए उच्चतम मानदंड वाला कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन, इसके निगमित उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी के लिए रणनीतिक विजन और दिशानिर्देश तैयार करने में नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आरईसी के निदेशक मंडल का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो कंपनी के प्रबंध निदेशक भी हैं। आरईसी में प्रकार्यात्मक निदेशक और गैर कार्यकारी निदेशक (अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के नामिति निदेशक और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामिति निदेशक) भी हैं। इसके अलावा महिला स्वतंत्र निदेशक (वर्तमान में पद रिक्त है) सहित अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पद भी मौजूद हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अधिकांश समय के दौरान आरईसी नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या वाली अपेक्षा का अनुपालन कर रहा था। कंपनी के निदेशक मण्डल में पद धारण करने वाले अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत था। इस वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पद धारण करने वाले सभी अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त योग्यताएं, विशेषज्ञताएं और अनुभव था जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में समर्थ रहे। निदेशक मंडल के दृष्टिकोण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों, जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पद पर बने हुए थे, ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया और वे कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र थे। इसके अलावा आरईसी के निदेशकों में अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यापार को कार्यक्षम रूप से प्रबंधित करने तथा बोर्ड और इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करने में मदद करता है।

क) निदेशक मण्डल का गठन (स्वरूप)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अभिप्राय से एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसके निदेशक मण्डल में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2019–20 के दौरान, आरईसी के बोर्ड में विभिन्न बदलाव हुए जिसमें आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना, सरकारी नामिति निदेशक में परिवर्तन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामिति निदेशक की पहली बार नियुक्ति और कार्यकाल पूरा होने तथा त्यागपत्र के कारण महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होना शामिल हैं। उपर्युक्त परिवर्तनों के बाद निदेशक मंडल का स्वरूप वर्ष के कुछ भाग के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रहा। स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल पूरा होने की बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार अर्थात नियोक्ता प्राधिकारी से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सक्रिय रूप से लगातार अनुरोध करती रही है जिससे कि यथा लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसी के निदेशक मंडल की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी, जिसमें निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में निदेशक और समिति में धारित पदों के विवरण शामिल हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी में धारित पद	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों में निदेशकों की सं0	अन्य कंपनियों में धारित समितियों के पदों की सं0		अन्य सूचीबद्ध निकायों में धारित निदेशक पद और उसकी श्रेणी
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में	
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)							
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल *(31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए)*	02231613	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक (वित्त)	3	शून्य	शून्य	भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड *(नामिती निदेशक)*
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *(01 जून 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया)*	03464342	निदेशक (तकनीकी)	2	शून्य	शून्य	-
अंशकालिक निदेशक (गैर कार्यकारी निदेशक)							
3	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण *(02 सितंबर 2019 से नियुक्त)*	03426753	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	शून्य	शून्य	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(नामिती निदेशक)* पीटीसी इंडिया लिमिटेड (नामिति निदेशक)
4	श्री प्रवीण कुमार सिंह *(18 जून 2019 से नियुक्त)*	03548218	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नामिती निदेशक	7	शून्य	शून्य	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(पूर्णकालिक निदेशक)*

नोटः 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए विवरणों से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यकाल समाप्त होने/त्यागपत्र के कारण कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक/महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

क. श्री अजीत कुमार अग्रवाल, जो 01 अगस्त 2012 से आरईसी के निदेशक (वित्त) हैं, 06 मार्च 2019 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत मंत्रालय में अपने दिनांक 06 जनवरी 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019–आरई (ई–247264) के साथ पठित 18 नवंबर 2019 के आदेश संख्या 46/2/2019– आरई के जरिए विद्युत मंत्रालय ने श्री अग्रवाल द्वारा धारित सीएमडी के ऐसे अतिरिक्त प्रभार को 31 मई 2020 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक बढ़ा दिया। श्री अजीत कुमार अग्रवाल 31 मई 2020 से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और इसलिए 01 जून 2020 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे। श्री अग्रवाल 01 जून 2020 से भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड में भी आरईसी के नामिती निदेशक नहीं रहे।

ख. विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 21 जुलाई 2020 के समसंख्यक आदेश के साथ पठित दिनांक 12 जून 2020 के आदेश संख्या 46/2/2019–आरई (247264) के जरिए 01 जून 2020 से 03 माह की अवधि अथवा नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

ग. विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 02 सितंबर 2019 के आदेश संख्या 46/8/2015–आरई (ई–227696) के जरिए तत्काल प्रभाव से और अगला आदेश होने तक डॉ0 अरूण कुमार वर्मा (डीआईएन 02190047), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 अक्टूबर 2015 के आदेश संख्या 46/08/2015 –आरई के जरिए आरईसी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में पहले नियुक्त किया गया था, के स्थान पर आरईसी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिति निदेशक के रूप में श्री मृत्युंजय कुमार नारायण की नियुक्ति की गई है। तदनुसार डॉ. अरूण कुमार वर्मा 02 सितंबर 2019 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे।

घ. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के साथ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से कार्य करते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किए गए शेयर खरीद करार के खंड 5.1 के संदर्भ में और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 जून 2019 के पत्र संख्या 27 –46/1/2018 – आरई के अनुसार श्री प्रवीण कुमार सिंह, (डीआईएन 03548218) को 18 जून 2019 से कंपनी के निदेशक मंडल में पीएफसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीएफसी के पास कंपनी के प्रत्येक रूपए 10 के 103,94,95,247 इक्विटी शेयर हैं, जो कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 52.63% का प्रतिनिधित्व करता है।

ङ. आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों में श्री ए. कृष्ण कुमार (डीआईएन 00871792) और प्रो0 टी टी राम मोहन (डीआईएन 00008651) का कार्यकाल 12 नवंबर 2019 से पूरा हो गया। तदनुसार वे 13 नवंबर 2019 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे। इसके अलावा श्रीमती आशा स्वरूप (डीआईएन 00090902) का आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 07 फरवरी 2020 से पूरा हो गया। तदनुसार वह 08 फरवरी 2020 से आरईसी की निदेशक नहीं रहीं।

च. डॉ. भागवत किशनराव कराड (डीआईएनः 00998839) ने निजी कारणों से 11 मार्च 2020 से आरईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया। तदनुसार वह 12 मार्च 2020 से आरईसी के निदेशक नहीं रहे। सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार डॉ0 करण ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने का कोई अन्य बड़ा कारण नहीं है।

छ. 31 मार्च 2020 के बाद विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 21 अप्रैल 2020 के अपने आदेश संख्या 46/9/2011 – आरई (228164) के जरिए श्री अजय चौधरी (डीआईएन 06629871) को 01 जून 2020 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। श्री अजय चौधरी पहले कंपनी में कार्यकारी निदेशक (वित्त) थे।

ज. भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी से इतर) में समितियों में सदस्यता, लेखापरीक्षा समिति और पणधारक संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या की गणना के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 26 के अनुसरण में इस पर विचार किया गया है; और कोई भी निदेशक भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की 10 से अधिक बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्य अथवा ऐसी 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

(ख) निदेशक मण्डल और उनकी समितियों के बारे में अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी, निदेशक मण्डल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें, आम तौर पर सभी निदेशकों के परामर्श और वर्ष के लिए पूर्व निर्धारित बैठक कैलेंडर के अनुसार तय की जाती हैं, ताकि उसकी बैठकों में निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। पूरी कार्यसूची और विस्तृत टिप्पणियां (यथा लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कीमतों से संबंधित संवेदनशील सूचना को छोड़कर, जो बैठक से पूर्व अलग से परिचालित की जाती हैं) सामान्यतः निदेशक मण्डल की बैठकों के लिए अग्रिम तौर पर निदेशकों और उनकी समितियों को भेजी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक व्यापारिक आवश्यकताओं को हल करने के लिए कभी–कभी बैठकें लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि सूचना पर भी बुलाई जाती हैं। ऐसे मामलों में न्यूनतम नोटिस तथा कार्यसूची अवधि का पालन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित किया जाता है, जिनकी अगली निदेशक मण्डल बैठक में पुष्टि की जाती है। निदेशक मण्डल/इसकी समितियों की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मण्डल एवं समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों (एचओडी)/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया

जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुति भी निदेशक मण्डल को दी जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं। निदेशक मण्डल और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों का भी पालन कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी के निदेशक मंडल की 10 (दस) बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –1	वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –2	वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –3	वित्तीय वर्ष 2019–20 तिमाही –4
26 अप्रैल 2019	10 जुलाई 2019	19 अक्टूबर 2019	04 फरवरी 2020
24 मई 2019	06 अगस्त 2019	05 नवंबर 2019	25 मार्च 2020*
–	29 अगस्त 2019	16 दिसंबर 2019	–

*यह बैठक पूरी तरह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच का न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 17 (सत्रह) और 51 (इक्यावन) दिन था।

(ii) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना

निदेशक मण्डल को दी गई सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सेबी (एलओडीआर) विनियम की अनुसूची II में उल्लिखित न्यूनतम अपेक्षा का विधिवत रूप से पालन करने के बाद सुनिश्चित की जाती है। निदेशक मंडल को कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मण्डल को दी गई सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होती हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना।
3. निधियां जुटाने से संबंधित प्रस्ताव।
4. वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव।
5. कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम और निदेशक मण्डल की रिपोर्ट आदि।
6. सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन।
7. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
8. सहायक कंपनियों के निदेशक मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त।
9. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उन्हें हटाए जाने सहित निदेशक मण्डल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना।
10. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थ दंड संबंधी नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
11. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण संबंधी समस्या, यदि कोई हो।
12. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर–अदायगी, यदि कोई है।
13. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें सारभूत प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो, जिसमें ऐसा कोई न्यायनिर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो अथवा किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो, जिससे कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
14. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण।
15. ऐसा लेनदेन, जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो, यदि कोई है।
16. महत्वपूर्ण श्रम समस्या, यदि कोई है और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे श्रम करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि का कार्यान्वयन।
17. निवेश, अनुषंगी कंपनियों/परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो।
18. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई।
19. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब आदि, यदि कोई हो।
20. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि।
21. अल्पकालिक अतिरिक्त निधि के निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
22. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान विषयक निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति से संबंधित तिमाही अनुपालन रिपोर्ट।
23. विभिन्न लागू कानून के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
24. उधारी और प्रतिदान से संबंधित तिमाही रिपोर्ट।
25. कंपनी की मुखबिर नीति के अनुपालन संबंधी छमाही रिपोर्ट।
26. दीर्घकालिक निधियों के निवेश संबंधी छमाही रिपोर्ट।
27. निष्पक्ष प्रक्रिया संहिता के अनुपालन पर छमाही रिपोर्ट।
28. कंपनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट।
29. निदेशक मण्डल के पूर्व के विचार–विमर्श/चर्चाओं/सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
30. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

iii. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे (वास्तविक रूप से अथवा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) अन्य निदेशकों की संख्या/समिति के सदस्यों की संख्याः.

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मण्डल की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थित										बैठकों की कुल संख्या			29 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
		26 अप्रैल 19	24 मई 19	10 जुलाई 19	6 अगस्त 19	29 अगस्त 19	19 अक्टूबर 19	5 नवंबर 19	16 दिसंबर 19	4 फरवरी 20	25 मार्च 20	निदेशक की अवधि के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा भाग लिया गया	उपस्थिति का प्रतिशत	
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *सीएमडी और निदेशक (वित्त)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	📹	10	10	100	👤
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	📹	10	10	100	👤
3	डॉ. अरुण कुमार वर्मा, *सरकारी नामिती निदेशक*	👤	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	अनुपस्थिति की छुट्टी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	3	60	उपस्थित नहीं
4	श्री मृत्युजय कुमार नारायण, *सरकारी नामिती निदेशक*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	📹	5	4	80	लागू नहीं
5	श्री ए. कृष्ण कुमार, *स्वतंत्र निदेशक*	📹	👤	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7	7	100	👤
6	प्रो. टी. टी. राममोहन, *स्वतंत्र निदेशक*	👤	📹	📹	📹	👤	👤	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7	7	100	👤
7	श्रीमती, आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	📹	👤	📹	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	लागू नहीं	9	8	88.89	👤
8	डॉ भागवत किशनराव कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	👤	📹	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	लागू नहीं	9	7	77.77	उपस्थित नहीं
9	श्री प्रवीण कुमार सिंह *पीएफसी के नामिती निदेशक*	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	📹	8	8	100	👤

👤 व्यक्तिशः उपस्थित   📹 वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

(iv) आगामी 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) कंपनी की 51वीं वार्षिक आम सभा में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति की पेशकश की है।

(v) निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है और श्री प्रवीण कुमार सिंह, जिनके पास कंपनी में प्रत्येक रूपए 10/– के 40 इक्विटी शेयर हैं, को छोड़कर कंपनी के किसी भी गैर–कार्यपालक निदेशक के पास कोई शेयर अथवा कंपनी में परिवर्तनीय लिखतें नहीं हैं।

(vi) स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक दिनांक 05 नवंबर 2019 को आयोजित की गई, जिसमें आरईसी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

(vii) बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, कार्यक्षमता और गुण

आरईसी के निदेशक मंडल में योग्य सदस्य शामिल हैं, जो अपेक्षित कौशल, कार्यक्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं जो उन्हें बोर्ड अथवा इसकी समितियों में प्रभावी योगदान करने में सहायता प्रदान करती है। निदेशक मंडल के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आरईसी निगमित सुशासन के उच्चतम मानदंडो का पालन करता है। व्यापार और विद्युत क्षेत्र के अति सूक्ष्म अंतरों पर विचार करते हुए बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख कौशलों, विशेषज्ञता, कार्यक्षमता और गुणों की पहचान की है जो इसे प्रभावी रुप से कार्य करने में सक्षम बनाता हो:

निदेशकों की अर्हताओं के मानदंड	
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय क्रियाकलापों की योजना बनाना, आयोजन करना, निदेश देना और नियंत्रित करना जिसमें निधियों का संग्रहण और उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, धन की उपलब्धता एवं निधि का प्रबंधन, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, कोष एवं विदेशी विनिमय प्रबंधन, कर आयोजना और वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय करना आदि शामिल है।
विद्युत क्षेत्र के डोमेन की विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न कारकों तथा भारत एवं विदेश में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं/अति सूक्ष्म अंतरों की गहरी सूझ–बूझ, प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने, हानिकारक अभिनवता को सृजित करने और नए बिजनेस मॉडल का विस्तार करने अथवा सृजित करने का ज्ञान।
परियोजना मूल्यांकन	इस तथ्य का निदान करने के लिए किसी परियोजना के अपनी ही मानदंडों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरण से संबंधित, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं, यदि ये अपने लक्ष्यों को पूरा करते हों, की व्यवस्थित एवं व्यापक समीक्षा।
कॉरपोरेट आयोजना और रणनीति	प्रबंधन क्रियाकलाप जिनका उपयोग प्राथमिकताएं तय करने, ऊर्जा और संस्थानों पर ध्यान केन्द्रित करने, प्रचालनों को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य स्टेक होल्डर निर्धारित परिणामों पर करार स्थापित कर सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तथा बदलते हुए परिवेश की प्रतिक्रिया में संगठन की दिशा का आकलन करते हैं और उसका समायोजन करते हैं।
जोखिम प्रबंधन	प्रचालन संबंधी जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर, तरलता, विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय जोखिमों का उन प्रक्रियाओं की पहचान के साथ–साथ पूर्वानुमान और मूल्यांकन करना जिससे कि उनके प्रभाव से बचा जा सके अथवा उसे न्यूनतम किया जा सके। किन्हीं संभावित खतरों की पहचान करना जो निवेश/वित्तपोषण की प्रक्रिया के दौरान हो सकते हैं तथा उन्हें कम करना।
नेतृत्व	एक स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, मार्ग दर्शन और ज्ञान तथा पद्धतियां उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराना और इसमें लक्ष्य निर्धारित करना एवं प्राप्त करना, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना शामिल है, के लिए विस्तारित नेतृत्व अनुभव।
निदेशक मंडल की प्रथाएं और सुशासन	किसी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों, बैंको और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जिम्मेदार पदों को धारित करना। कंपनी का बोर्ड उस सूझ–बूझ को विकसित करेगा जो बोर्ड और प्रबंधन के दायित्व को बनाए रखने में, शेयरहोल्डरों के हितों को संरक्षण प्रदान करने और उपयुक्त शासन प्रथाओं का अनुपालन करने के बारे में है।
कारोबार का विकास	बिजनेस और बाजार हिस्से में वृद्धि करने, ब्रांड के संबंध में जागरुकता पैदा करने और ऋण लेने वाले/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी स्टेकहोल्डरों के लिए दीर्घावधि मूल्य का सृजन करने के लिए कॉरपोरेट की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए नीतियों का विकास करने में अनुभव।

नीचे दी गई तालिका में, अलग अलग बोर्ड सदस्य के विशेषज्ञता अथवा ध्यान के विशिष्ट क्षेत्र (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार और उसके बाद) बताए गए हैं।

निदेशक के नाम	निदेशक मण्डल स्तर की प्रमुख अर्हताएं							
	विशेषज्ञता का क्षेत्र							
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की डोमेन विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	निगमित आयोजना और रणनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	निदेशक मंडल की प्रथाएं और सुशासन	कारोबार विकास
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव कुमार गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री प्रवीण कुमार सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजय चौधरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

नोट : श्री अजय चौधरी 01 जून, 2020 से कंपनी के निदेशक (वित्त) नियुक्त किए गए हैं;

3. निदेशक मंडल की समितियां

आरईसी का निदेशक मण्डल या तो पूर्ण निदेशक मण्डल के रूप में कार्य करता है अथवा गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों और निगमित शासन का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मण्डल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन इसके विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है, जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मण्डल की निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. शेयरधारक संबंध समिति;
4. जोखिम प्रबंधन समिति;
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;
6. ऋण समिति;
7. कार्यकारी समिति;
8. आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप–समिति; और
9. निवेश/अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति;

सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 105, निदेशक मण्डल की बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों और अन्य लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में निदेशक मण्डल के समक्ष सूचनार्थ और नोट करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी में एक लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 18 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। लेखापरीक्षा समिति इसके विचारार्थ विषयों के अनुसार अपनी भूमिका का निवर्हन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित सूचना की समीक्षा करती है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क) समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

ख) समय–समय पर यथासंशोधित सेबी (सेबी (एलओडीआर) बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 में यथापरिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

ग) समय–समय पर यथासंशोधित लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश 2010 का अनुपालन करना;

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित समय–समय पर यथासंशोधित अन्य लागू प्रावधानोंका अनुपालन करना;

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिए अनुसार हैं;

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 19	10 जुलाई 19	06 अगस्त 19	5 नवंबर 19	16 दिसंबर 19	4 फरवरी 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	*श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *12 नवंबर, 19 तक*	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
2	*प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *12 नवंबर ,19 तक*	🎥	🎥	🎥	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
3	*श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य 15 दिसंबर, 19 तक अध्यक्ष *16 दिसंबर, 19 से 07 फरवरी, 20*	👤	🎥	👤	👤	👤	👤	6	6	100
4	*डॉ. भागवत किशनराव कराड, स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *11 मार्च, 20 तक*	🎥	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100
5	*श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित   🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम या तो दो सदस्य अथवा लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा और इसकी बैठक में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था।

07 फरवरी, 2020 को श्रीमती आशा स्वरूप का कार्यकाल पूरा होने के बाद और 11 मार्च, 2020 को डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र देने से आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे, जिसके फलस्वरूप यथा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी ने वर्तमान में अपनी लेखापरीक्षा समिति गठित की है, जिसमें यथाव्यवहार्य सीमा तक गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और श्री संजीव कुमार गुप्ता और श्री प्रवीण कुमार सिंह इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर इसके लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है; और लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्यों को वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष शेयरधारक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 29 अगस्त, 2019 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसे प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नामिती निदेशक को निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। यह भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर ही निदेशक मण्डल और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक में उपस्थित होने के लिए सिटिंग फीस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

आरईसी के लिए यथा लागू सीमा तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:

क) समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मण्डल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

ख) समय–समय पर यथासंशोधित सेबी (सेबी (एलओडीआर) बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 में यथापरिकल्पित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना; और

ग) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशा–निर्देश, 2010 का पालन करना, जिसमें वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना की नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना भी शामिल है। यह निर्णय समय–समय पर यथासंशोधित लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर–संगठित पर्यवेक्षकों के संबंध में किया जाएगा।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता के निर्धारण, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन संबंधी मापदंडों को तैयार करने से संबंधित अपेक्षाओं और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए ने 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित किया कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा करने से संबंधित प्रावधान तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग द्वारा उनके आंतरिक दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई; और इसके स्वरूप एवं इस बैठक में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	6 अगस्त, 2019 को आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में उपस्थिति	बैठकों की कुल संख्या		
				निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष, *12 नवंबर, 2019 तक*	📹	1	1	100
2	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र *निदेशक*	सदस्य, *12 नवंबर, 2019 तक*	👤	1	1	100
3	श्रीमती आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य, *07 फरवरी, 2020 तक*	👤	1	1	100
4	डॉ बी. के. कराड *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *11 मार्च, 2020 तक)*	👤	1	1	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित 📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक के लिए कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और गैर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) /मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी रूप से बुलाया जाता है। कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रोफेसर टी. टी. राममोहन का 12 नवंबर, 2019 से कार्यकाल पूरा होने के बाद और 07 फरवरी, 2020 से श्रीमती आशा स्वरूप का कार्यकाल पूरा होने तथा 11 मार्च, 2020 से डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र के फलस्वरूप आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे, जिसके फलस्वरूप यथालागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कंपनी अपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करेगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	कार्य–निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन(1)	अनुलब्धियां	फॉर्म 16 में शामिल अन्य लाभ(2)	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि अंशदान(3)	कुल(4)
1	श्री अजीत कुमार *अग्रवाल, सीएमडी तथा निदेशक (वित्त)*	41,13,163	26,37,984	9,75,988	11,686	-	3,77,351	3,07,323	84,23,495
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	41,15,372	25,99,998	11,56,918	51,148	6,86,030	3,77,553	3,07,611	92,94,630
3	श्री जे. एस. अमिताभ, *कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव*	46,71,101	16,40,570	1,27,537	87,806	-	3,66,172	2,98,273	71,91,459

नोटः (1) कार्य–निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन, लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(2) यूनिफॉर्म, मनोरंजन, बिजली, पानी और सहायक प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति शामिल नहीं हैं और चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति से छूट प्राप्त है।

(3) वित्तीय वर्ष 2019–20 में पेंशन अंशदान एनपीएस खाते में जमा किया गया। इस प्रकार फॉर्म 16 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत नियोक्ता का पेंशन अंशदान वेतन के एक भाग के रूप में होता है।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 से भत्तों में छूट मिली हुई है और एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर आरईसी के ग्रेच्युटी फंड में कर्मचारी का अंशदान शामिल नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मण्डल की 395वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक और उसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/– की दर से सिटिंग फीस का भुगतान किया गया। निदेशक मंडल ने दिनांक 04 फरवरी 2020 को आयोजित की गई अपनी 466वीं बैठक में निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए निदेशकों को भुगतान की जाने वाली सिटिंग फीस को बढ़ाकर क्रमशः ₹ 40,000/– और निदेशक मंडल की समिति (समितियों) की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 30,000/– करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर हैं। सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक/सिटिंग फीस प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों को सिटिंग फीस (जीएसटी को हटाकर) के निमित्त किए गए भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		निदेशक मण्डल की बैठकें	समिति की बैठक	
1	श्री ए. कृष्ण कुमार	1,40,000	3,00,000	4,40,000
2	प्रोफेसर टी. टी. राममोहन	1,40,000	2,00,000	3,40,000
3	श्रीमती आशा स्वरूप	1,60,000	2,80,000	4,40,000
4	डॉ बी. के. कराड	1,40,000	2,00,000	3,40,000
5	श्री प्रवीण कुमार सिंह	1,80,000	-	1,80,000
	कुल	**7,60,000**	**9,80,000**	**17,40,000**

टिप्पणी : डॉ. बी. के. कराड़ को भुगतान की गई सिटिंग फीस के अलावा विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें ₹ 15,000 के पारिश्रमिक का भी भुगतान किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, स्वतंत्र और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के इस कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं हैं सिवाय उस सीमा के कि जिस सीमा तक इनको एयर टिकट, होटल में रहने, वाहन भाड़े पर लेने, पॉकेट खर्च और स्थानीय परिवहन की प्रतिपूर्ति निदेशक मण्डल और इसकी समितियों में भाग लेने के संबंध में की गई हो।

3.3 शेयरधारक संबंध समिति

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 20 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया है। यह समिति कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरों का अंतरण अथवा डिबेंचर का अंतरण, डुप्लीकेट शेयर/डिबेंचर प्रमाण–पत्र जारी करने, अंतरण से संबंधित मामलों, पारेषण, रिमैटेरियलाइजेशन, डिमैटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटी की स्पिलिटिंग और कंसोलिडेशन प्राप्त न होने, लाभांश क्रेडिट/वारंट प्राप्त न होने जैसे शेयरधारकों, डिबेंचरहोल्डरों आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतिधारकों से शिकायतों के समाधान की विशेष रूप से जांच करती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न प्रतिभूति धारकों के अनुरोधों, शिकायतों अथवा मुद्दों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक संबंध समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारक संबंध समिति के स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 2019	6 अगस्त 2019	5 नवंबर 2019	4 फरवरी 2020	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री ए. कृष्ण कुमार, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *12 नवंबर, 19 तक*	👤	👤	👤	लागू नहीं	3	3	100
2	डॉ बी. के. कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *16 दिसंबर, 19 से 11 मार्च, 20 के दौरान*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 2019	6 अगस्त 2019	5 नवंबर 2019	4 फरवरी 2020	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	4	4	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित

शेयरधारक संबंध समिति की बैठकों के लिए कोरम में दो सदस्य होते हैं, जिनमें समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा शेयर, डिवेंचर, बांड सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के प्रतिनिधि स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं।

श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक, एवं कंपनी सचिव सेबी (एलओडीआर) विनियम की शर्तों के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं। शेयरधारक संबंध समिति के तत्कालीन अध्यक्ष 29 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र के बाद आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण यथा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप शेयरधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, कंपनी ने वर्तमान में अपनी शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया है जिसमें श्री प्रवीण कुमार सिंह अध्यक्ष के रूप में और श्री संजीव कुमार गुप्ता एवं श्री अजय चौधरी सदस्य के रूप में शामिल हैं। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर शेयरधारक संबंधी समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

सभी निवेशकों की शिकायतों का तत्परता से समाधान करने के लिए, कंपनी ने निवेशक की शिकायतों/समस्याओं का समाधान करने के लिए तीन स्तरीय तंत्र स्थापित किया है अर्थात अलग–अलग रजिस्ट्रार से सहायता सेवा, इन हाउस निवेशक सेल और स्टेकहोल्डर संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और उसके फलस्वरूप सभी शिकायतों का समय पर समाधान हुआ है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नामक एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतों के बारे में कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक इन शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं अर्थात यह शिकायत किसके पास लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और यह शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई भी निवेशक, जो एससीओआरईएस से परिचित नहीं है अथवा जिसकी पहुँच एससीओआरईएस तक नहीं हो पाती है, लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों का तेजी से और तत्परता से स्टेकहोल्डर की संतुष्टि के अनुसार समाधान करती रही है। निवेशकों की शिकायतों की स्थिति के संबंध में एक तिमाही अद्यतन स्थिति स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाईल की जाती है और निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 13(3) के अनुसरण में, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	शिकायतें (इक्विटी शेयर)	शिकायतें (सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां)	निवेशक शिकायतों की कुल संख्या
वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल, 2019) के आरंभ में लंबित शिकायतें	0	2	2
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	1,206	977	2,183
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1,206	977	2,183
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में अनिर्णीत शिकायतें	0	2	*2

*उपर्युक्त 2 शिकायतों का भी बाद में समाधान किया गया है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों सहित संभावित रूप से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की समीक्षा करना तथा कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए गए अनुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			29 अगस्त 19	24 मार्च 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्रीमती आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *07 फरवरी, 20 तक*	👤	लागू नहीं	1	1	100
2	डॉ बी. के. कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *11 मार्च, 20 तक*	अनुपस्थिति की छुट्टी	लागू नहीं	1	0	0
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	सदस्य *23 मार्च, 20 तक* अध्यक्ष *24 मार्च, 20 से*	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	2	1	50
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	2	2	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित

वित्त प्रभाग (रिसोर्स मोबलाइजेशन) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन प्रमुख को जोखिम समिति की बैठक में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

3.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीयता संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति' का गठन किया है और इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क) निगमित सामाजिक उत्त्रदायित्व संबंधी नीति को तैयार करना और उसकी निदेशक मण्डल से सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाएगा;

ख) समय–समय पर कंपनी की निगमित सामाजिक उत्त्रदायित्व संबंधी नीति की निगरानी करना;

ग) खंड (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंतर्गत आने वाले कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

ङ) कंपनी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओंध्कार्यक्रमोंधक्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करना;

च) कंपनी की सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर कार्यनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

छ) उत्तरदायित्व संबंधी विवरण देने के साथ–साथ नियमों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की विषय–वस्तु को अनुमोदित करना, जो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कंपनी के उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हों;

ज) रिपोर्टों को आवधिक रूप से निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ) समय–समय पर यथासंशोधित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान सीएसआर समिति की 6 (छः) बैठके आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	शेयरधारक संबंध समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			24 मई 19	6 अगस्त 19	18 अक्टूबर 19	5 नवंबर 19	16 दिसंबर 19	4 फरवरी 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री टी. टी. राममोहन, *स्वतंत्र निदेशक*	अध्यक्ष *12 नवंबर, 19 तक*	🎥	🎥	👤	🎥	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
2	श्री ए. कृष्ण कुमार *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *12 नवंबर, 19 तक*	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100
3	श्रीमती आशा स्वरूप, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *15 दिसंबर, 19 तक* अध्यक्ष *16 दिसंबर, 19 से 07 फरवरी, 20*	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	6	5	83.33
4	डॉ बी. के. कराड, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *16 दिसंबर, 19 से 11 मार्च, 20 तक*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100
5	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *सीएमडी और निदेशक (वित्त)*	सदस्य *24 मार्च, 20 तक* अध्यक्ष *25 मार्च, 20 से*	👤	👤	अनुपस्थिति की छुट्टी	👤	👤	👤	6	5	83.33
6	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	6	6	100
7	श्री प्रवीण कुमार सिंह, *पीएफसी के नामिती निदेशक*	सदस्य *25 मार्च, 20 से*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

👤 व्यक्तिशः उपस्थित   🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें समिति के अध्यक्ष शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को डॉ. बी. के. कराड के त्यागपत्र के बाद आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और यथालागू कानूनों के अनुरूप सीएसआर समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। तथापि, कंपनी ने वर्तमान में अपनी सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें श्री संजीव कुमार गुप्ता अध्यक्ष के रूप में और श्री अजय चौधरी एवं श्री प्रवीण कुमार सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। आरईसी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR-Policy-Wef110717-UpldDt300518.pdf पर उपलब्ध है।

3.6 ऋण समिति

निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है:

कंपनी (निकाय) का प्रकार	पृथक योजना/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत कंपनियां केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 500 करोड़ तक	₹ 30,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां	₹ 500 करोड़ तक	₹ 10,000 करोड़

नोट: 31 मार्च, 2020 के बाद, निदेशक मंडल ने कोविड–19 के तहत डिस्कॉम को विशेष दीर्घावधि संक्रमण ऋण और उदय योजना के तहत विशेष ऋण स्वीकृत करने के लिए ऋण समिति को अतिरिक्त शक्तियां सौंप दी हैं, जहां पृथक योजना/परियोजना के लिए ऋण राशि ₹ 500 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण समिति की 5 (पांच) बार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ऋण समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	ऋण समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या		
			24 अप्रैल 19	27 जून 19	16 सितम्बर 19	16 दिसम्बर 19	6 फरवरी 19	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100
3	डॉ. अरुण कुमार वर्मा *सरकारी नामिती निदेशक*	सदस्य 2 सितंबर 19 तक	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2	100
4	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण *सरकारी नामिती निदेशक*	सदस्य 2 सितंबर 19 से	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	3	3	100
5	श्री ए. कृष्ण कुमार, *स्वतंत्र निदेशक*	सदस्य *29 अगस्त 19 से 12 नवम्बर 2019 के दौरान*	लागू नहीं	लागू नहीं	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण समिति की संरचना सीएमडी, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकारी नामिती निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक को शामिल करने के लिए परिवर्तित किया गया। इसके अलावा, ऋण समिति की बैठकों के लिए कोरम को भी तीन सदस्यों के रूप में बदल दिया गया, जिसमें सीएमडी और सरकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कार्यकारी समिति का गठन निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है:

कंपनी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत कंपनियां केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	₹ 150 करोड़ तक	₹ 25,000 करोड़
निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियां	₹ 100 करोड़ तक	₹ 6,000 करोड़

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान कार्यकारी समिति की 14 (चौदह) बार बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	ऋण समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति														बैठकों की कुल संख्या		
			12 अप्रैल 19	29 अप्रैल 19	17 मई 19	4 जून 19	27 जून 19	19 अगस्त 19	6 सितंबर 19	26 सितंबर 19	18 नवंबर 19	24 दिसंबर 20	2 जनवरी 20	14 फरवरी 20	19 मार्च 20	28 मार्च 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	📹	14	14	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीक)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	📹	14	14	100

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

👤 व्यक्तिशः उपस्थित   📹 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.8 आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन, अल्पकालिक ऋणों और आवधिक ऋणों के उधार देने की दरों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त सतिति की 5 (पाँच) बैठकें आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, उप समिति का स्वरूप और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसकी बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार रही:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	समिति में पद	आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए निदेशकों की उप समिति की बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति					बैठकों की कुल संख्या		
			30 अप्रैल 19	27 अगस्त 19	23 सितम्बर 19	13 दिसम्बर 19	14 फरवरी 20	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति का प्रतिशत
1	श्री अजीत कुमार अग्रवाल *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)*	अध्यक्ष	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100
2	श्री संजीव कुमार गुप्ता *निदेशक (तकनीक)*	सदस्य	👤	👤	👤	👤	👤	5	5	100

👤 व्यक्तिशः उपस्थित

निदेशक मंडल की उपर्युक्त उप समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3.9 अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन के लिए समिति का गठन किसी भी समय जमा राशि के प्रमाण पत्र में एक बार में ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक अथवा म्युचुअल फंड और सावधि जमा में ₹ 1500 करोड़ या उससे अधिक की अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन को मंजूरी देने के उद्देश्य से किया गया है। इस समिति की बैठकें अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन का निर्णय लेने के लिए आवश्यक होने पर आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान और 31 मार्च, 2020 तक, अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन के लिए समिति में श्री अजीत कुमार अग्रवाल अध्यक्ष के रूप में और श्री संजीव कुमार गुप्ता सदस्य के रूप में शामिल थे। उक्त समिति की बैठक के लिए कोरम सीएमडी सहित दो सदस्यों का होता है। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

4. अन्य समितियां

निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर गठित निदेशकों की समितियों के अलावा, जैसा कि उपर्युक्त 3.1 से 3.9 में विस्तृत विवरण दिया गया है, कंपनी में कुछ विशिष्ट मामलों को देखने के लिए कुछ अतिरिक्त समितियां भी गठित की गई है, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं।

4.1 बॉण्ड समिति

निदेशक मंडल द्वारा आरईसी के करयोग्य, सुरक्षित, मोचनयोग्य (रिडीमेबल) अपरिवर्तनीय (नॉन–कन्वर्टिबल) बॉन्ड्स के पब्लिक इश्यू से संबंधित मामलों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की बॉन्ड समिति का गठन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20, के दौरान गठित बॉन्ड समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री अजीत कुमार अग्रवाल और सदस्य के रूप में श्री संजीव कुमार गुप्ता शामिल थे। बॉन्ड समिति की बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों का हैं, जिनमें सीएमडी भी शामिल है। 16 अक्टूबर, 2019 को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बॉन्ड समिति की एक बार बैठक हुई।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20, और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार में शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अर्थात श्री जे. एस. अमिताभ (कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव) और श्री दलजीत सिंह खत्री (मुख्य महाप्रबंधक – संसाधन) सदस्य के रूप में शामिल हैं। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

4.3 आईटी रणनीति समिति

आरईसी में आईटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए आरईसी के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के एनबीएफसी क्षेत्र की कंपनियों के लिए मुख्य निदेशों के अनुपालन में एक आईटी रणनीति समिति का गठन किया है। आईटी रणनीति समिति की भूमिका में नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का निर्धारण करने तथा आईटी संसाधनों की आपूर्ति और उपयोग के लिए उच्च स्तरीय निदेश देने तथा आईटी रणनीति एवं नीतिगत दस्तावेजों का अनुमोदन करने के लिए पद्धतियों की निगरानी शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईटी रणनीति समिति में आरईसी के एक स्वतंत्र निदेशक (अर्थात श्री ए. कृष्ण कुमार–12 नवम्बर, 2019 तक), मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और बाहर के एक तकनीकी विशेषज्ञ और कंपनी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की दो (2) बैठकें क्रमशः 10 जुलाई, 2019 और 10 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थीं। कंपनी में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति के बाद, आईटी रणनीति समिति का पुर्नगठन किया जाएगा।

5. सहायक कंपनियां

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं;

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

इसके अलावा, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) समय–समय पर क्रमशः विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आबंटित स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीपीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतःराज्यीय पारेषण परियोजना का विकास करने के लिए आरईसीटीपीसीएल अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में परियोजना विशेष के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को निगमित करता है। प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद आरईसीटीपीसीएल द्वारा संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में आरईसीटीपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, परियोजना विशिष्ट आठ (8) एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किए थे, जिनके विवरण वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल के पास इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) थे:

(1) दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(2) चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

(3) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

(4) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

(5) मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

**उक्त कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।*

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 से इस रिपोर्ट की तारीख तक आरईसीटीपीसीएल ने निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी निगमित किए हैं:

(1) कल्लाम ट्रांसमिशन लिमिटेड

(2) फतेहगढ़ भाडला ट्रांस्को लिमिटेड

(3) गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड

(4) राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

(5) बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(6) सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

(7) रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

(8) एम पी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड

(9) एम पी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड

उपर्युक्त कंपनियों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।

कंपनी के पास सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई "वास्तविक सब्सिडियरी" नहीं है। कंपनी ने विनियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित सहायक कंपनियों की वास्तविकता के संबंध में एक नीति विकसित की है और वह आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-determining-material-subsidiaries-dt230719.pdf पर भी उपलब्ध है।

सभी सहायक कंपनियों की निदेशक मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। असूचीबद्ध सहायक कंपनियों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वित्तीय परिणामों की समीक्षा आरईसी के निवेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई। आरईसी की सभी सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उससे संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए है:

बैठक सं.	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
48वीं	2016–17	21 सितंबर, 2017	11.00 बजे पूर्वा.	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली–110010	जी हां
49वीं	2017–18	25 सितंबर, 2018			जी हां
50वीं	2018–19	29 अगस्त, 2019			जी हां

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कोई पोस्टल बैलट प्रक्रिया संचालित नहीं की गई और पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 को जारी किए गए परिपत्र के अनुक्रम में आरईसी की 51वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी। कंपनी भावी वार्षिक आम बैठकों में ई–मतदान की सुविधा प्रदान करती रहेगी ताकि शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भागीदारी और अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में विवरण उक्त एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेज भेजना

वित्तीय वर्ष 2010–11 से आरईसी ऐसे शेयरधारकों, जिनके ई–मेल पते संगत डिपोजीटरी भागीदारों अथवा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) के साथ पंजीकृत हैं, को दस्तावेजों जैसे कि नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट आदि की प्रदायगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन करता रहा है। अंतरिम/अंतिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई–मेल आईडी पंजीकृत हैं।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र और ऊपर संदभिर्त सेबी के परिपत्र के अनुसार 51वीं वार्षिक आम सभा की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों के पंजीकृत पतों पर उन्हें ई–मेल से भेजी जाएगी, जिनके ई–मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन करने के लिए ऐसे शेयरधारकों जिनके पास वास्तविक भौतिक रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए थे। इसके अलावा, कंपनी ने ई–मेल आईडी के अपडेशन के लिए शेयरधारकों के मोबाइल नंबरों को भी संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया था। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, जो शेयरधारक अभी भी अपनी ई–मेल आईडी अपडेट नहीं कर पाए हैं, वे ई–मेल आईडी के पंजीकरण और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आरईसी के आगामी एजीएम में 51वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय रूप से आयोजित की जा रही हैं। ऐसी बैठकों के लिए एजेंडा और नोट्स भी एक सुरक्षित मंच के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निदेशकों को भेजे जा रहे हैं, जिससे निदेशकों को बिना किसी परेशानी के एजेंडे के कागजात का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की सचिवालय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उपर्युक्त सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है। इसके अलावा, सचिवालयी लेखापरीक्षक के अवलोकनों और उनके प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर के विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में दर्शाए गए हैं।

9. संबंधित पक्षकार लेन–देन

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमो के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित पक्षकार लेनदेनों सहित संबंधित पक्षकार लेन–देनों की वास्तविकता और संव्यवहार्यता के संबंध में एक नीति तैयार की है। उपर्युक्त नीति कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-policy-on-related-party-transactions-dealing-with-rpt-dt230719.pdf पर उपलब्ध है।

इस नीति के अनुसार, सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति और/अथवा निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। संबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। संबंधित पक्षकार के लेन–देनों की एक स्थिति रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सूचनार्थ प्रस्तुत की जाती है। संबंधित पक्षकार लेनदेनों के ब्यौरों का प्रकटन एओसी–2 फॉर्म में किया जाना आवश्यक है, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 'शून्य' थे।

10. प्रकटन

1. कंपनी ने वर्ष के भाग के लिए निदेशक मंडल में महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर समय समय पर यथासंशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013, लागू सचिवालयी मानक और

लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा–निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियोक्ता प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाए जिससे कि कंपनी यथलागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने में सक्षम हो सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में अननुपालन के कोई उदाहरण नहीं हैं।

2 सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत, जैसा कि आवश्यक है, सभी विवरणी/रिपोर्ट/प्रकटन स्टॉक एक्सचेंज/अन्य प्राधिकारों के पास निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किए गए।

3 कंपनी ने निदेशक मण्डल, समितियों और निगमित सुशासन की अपेक्षाओं से संबंधित, समय–समय पर यथासंशोधित, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 17 से 27 तथा उपर्युक्त मद संख्या (1) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 46 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की वेबसाइट के रख–रखाव और उसे अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली की अनुसूची–V के भाग 'ग' के अनुसार निगमित सुशासन रिपोर्ट के तहत प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी के कारोबार के विवरण, निदेशक मण्डल स्तर की विभिन्न समितियों के गठन, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों की आचरण और नैतिकता संहिता से संबंधित संगत सूचना का प्रकटन आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी किया गया है।

सतर्कता तंत्र/व्हीसल ब्लोअर नीति की स्थापना के विवरण, गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने संबंधी मापदंड, संबंधित पक्षकार लेनदेनों पर कार्रवाई करने की नीति, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां निर्धारित करने की नीति, स्वतंत्र निदेशकों को जानकारी देने संबंधी कार्यक्रमों का विवरण और स्टॉक एक्सचेंज आदि पर प्रकटन के लिए घटनाओं के महत्व को निर्धारित करने संबंधी नीति की सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic-in/policies पर भी उपलब्ध है।

4 कंपनी के पास निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें हैजिंग नीति भी शामिल है, जो विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, मुद्राओं के बीच विनिमय दर के ऐसे संचलनों (उतार–चढ़ाव) के प्रबंधन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराती है, जिससे विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ–बैलेंस शीट व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम के बारे में समुचित प्रकटन लेखाओं की टिप्पणियों में किया गया है, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में इसमें शामिल हैं और उसका प्रबंध स्वैप, विकल्प, अग्रेषण आदि जैसे विभिन्न व्युत्पन लिखतों के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे किसी पण्यवस्तु की कीमत बढ़ने का जोखिम हो।

5 कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति से मुक्त रखने के लिए आरईसी ने निदेशक और अधिकारी (डीएंडओ) देयता बीमा नीति प्राप्त की है जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध उत्पन्न हो सकने वाली देयताओं को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति है। इस बीमा नीति में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और प्रबंधक तथा उससे उपर के अधिकारियों सहित आरईसी का निदेशक बोर्ड शामिल है।

6 कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों या कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई वाणिज्यिक लेन–देन नहीं किया है।

7 वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन–देन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचना प्रस्तुत कर दी है अर्थात उनका प्रकटन किया है, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो सकता हो (उदाहरणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद–परोख्त करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो) और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विरोध का कोई ऐसा मामला नहीं था।

8 संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव हो। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अपने पद पर रहने वाले स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं थे।

9 कंपनी ने जोखिम निर्धारित करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

10 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण समय समय पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतया स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

11 कंपनी दृढ़ता के साथ यह भी स्वीकार करती है कि एक व्हीसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र प्रभावी है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने से इन्कार नहीं किया गया है।

12 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में यह प्रकटन बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है।

13 कंपनी ने निगमित सुशासन की सभी अनिवार्य मदों (वर्ष के भाग के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर) और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के अंतर्गत यथाविहित कुछ गैर–अनिवार्य मदों को भी अंगीकार किया है। निगमित सुशासन खंड के संबंध में गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति नीचे दी गई है:

क. **निदेशक मण्डल:** कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं;

ख. **शेयरहोल्डर के अधिकार:** कंपनी सभी शेयरधारकों और निवेशकों को समयबद्ध रूप में सभी सूचना उपलब्ध करा रही है ताकि वे कंपनी के प्रमुख निर्णयों से पर्याप्त रूप से अवगत हो सकें;

ग. **लेखापरीक्षा संबंधी अर्हताएं:** वित्तीय वर्ष 2019–20 के संबंध में लेखापरीक्षा से संबंधित कोई अर्हताएं प्राप्त नहीं हुई है और कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह बिना किसी अनअर्हता वाले वित्तीय विवरणों का रख–रखाव करे;

घ. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग:** कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रमुख लेखापरीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है;

इसके अलावा, आरईसी सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ और प्रबंध निदेशक की भूमिका और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जाती है।

14 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति जी की ओर से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018–19 में निदेशक मण्डल स्तर तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों 01 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति जी के निदेश प्राप्त हुए थे और उन्हें कंपनी द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

15 कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है, जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया निजी प्रकृति का हो और जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन वर्ग के लिए किया गया हो।

16 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रशासनिक और कार्यालयी खर्च मुख्य रुप से ₹ 5.73 करोड़ ₹ की तुलना में प्रचार और संवर्धन पर किए गए 81.72 करोड़ ₹ के अपेक्षाकृत कम खर्च के कारण पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान ₹ 186.61 करोड़ ₹ की तुलना में घटकर ₹ 131.70 करोड़ ₹ हो गया है। कंपनी के व्यापार क्रियाकलापों में सामान्य वृद्धि के अनुरुप अन्य खर्चों में मामली अंतर आया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल खर्च के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक और कार्यालयी खर्च 0.58% (पिछले वर्ष 1.08%) है और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय खर्च के प्रतिशत के रुप में 0.69% (पिछले वर्ष 1.19%) है।

17 निगमित सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय को निर्धारित समय के अंदर तिमाही अनुपालन रिपार्ट भेजी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भेजी गई डीपीई अनुपालन रिपार्ट का विवरण निम्न है;

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
जून, 2019	10 जुलाई, 2019
सितंबर, 2019	14 अक्तूबर, 2019
दिसंबर, 2019	06 जनवरी, 2020
मार्च, 2020	27 अप्रैल, 2020

इसके अलावा, रिपोर्ट जिसमें वार्षिक स्कोर निहित था (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) विद्युत मंत्रालय/डीपीई को 15 मई, 2020 की नियत तिथि की तुलना में 14 मई, 2020 को प्रस्तुत की गई।

इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 की सभी तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 27(2)(क) की अपेक्षाओं के अनुसार, निगमित सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को निर्धारित समयावधि के भीतर भेज दी गई है।

18 वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा संबंधी कोई अर्हताएं नहीं दी गई हैं। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के प्रावधानों के अनुरूप स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अशोधित राय के साथ प्रस्तुत कर दी है।

19 अपनी अपेक्षाओं के आधार पर निदेशक मण्डल के सदस्यों ने समय–समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा–निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने *निदेशक मण्डल के सदस्यों के प्रशिक्षण* की एक नीति तैयार की है।

नियुक्ति होने पर निदेशक मण्डल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्टें और आंतरिक नीतियां उपलब्ध की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और प्रविधि से अवगत हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार और कार्य–निष्पादन संबंधी प्रस्तुतीकरण भी निदेशक मण्डल की बैठकों में किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण https://www.recindia.nic.in/uploads/files/FamiliarizationProgrammeforIndependentDirectors110720.pdf पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के पूर्व स्वतंत्र निदेशक डॉ बी. के. कराड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 27 से 28 मई 2019 को शिलांग में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आयोजित सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया।

20 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कोई स्टॉक ऑप्शन/ईएसओपी जारी नहीं किया है।

21 कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 के निगमन संबंधी नए प्रमाण पत्र के अनुक्रम में कंपनी का नाम पूर्व में *"रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड"* से परिवर्तित कर "आरईसी लिमिटेड" कर दिया गया।

22 सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 32(7क) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थाओं के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के सदुपयोग का ब्योरा समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं होता है। इसके अलावा, बॉन्ड्स के निजी प्लेसमेंट के इश्यू से होने वाली आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

23 आरईसी का घरेलू ऋण लिखत को लगातार "एएए" रेटिंग मिली जो 'क्रिसिल, केयर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और इक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की पूरी अवधि के दौरान दी गई सर्वोच्च रेटिंग है और आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसके अलावा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 की पूरी अवधि के दौरान क्रमशः इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज और फिच द्वारा "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग भी मिली है और आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं हुआ है।

24 वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से बोर्ड और बोर्ड की समितियों में अपने पदों, जो वे अन्य कंपनियों में धारण करते है और यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, जो उनके निदेशक के पद के संबंध में हो, का ब्यौरा प्राप्त करती है। इसके अलावा, कंपनी ने मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, जो प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव हैं, से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी निदेशक को सेबी/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा जारी रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं किया गया है। उपर्युक्त प्रमाण–पत्र की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न की गई है।

25 प्रचालन संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने बोर्ड स्तर की विभिन्न समितियों का गठन किया है और उन समितियों को कुछ कार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति अपने निर्धारित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती है और प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेती है और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, निदेशक मंडल द्वारा आगे विचार किए जाने के लिए इसकी सिफारिशें करती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां निदेशक मंडल ने कंपनी की बोर्ड स्तर की किसी भी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली मौजूद है। निदेशक मंडल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की तिमाही आधार पर समीक्षा करता है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचार संहिता और नैतिकता

आरईसी में "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता और नैतिकता नीति" है जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए लागू व्यापक संहिता है। इसे कंपनी के मिशन/विजन और लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरुप निर्धारित किया गया है और इसका लक्ष्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि करना है।

कारोबार संचालन और सिद्धांत संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बारे में एक घोषणा प्राप्त की गई है, जो इस प्रकार हैः

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और निगमित सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी के 'निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार संचालन और सिद्धांत संहिता' के अनुपालन के संबंध में सकारात्मक पुष्टि की है।

ह./–
संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएनः 03464342)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26 जून, 2020

13. निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता

कंपनी के पास "पदनामित व्यक्तियों और उनके निकटस्थ संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटन करने के लिए एक आचार संहिता" ('संहिता') है, जो इस उद्देश्य से बनायी गयी है कि पदनामित व्यक्ति और उनके निकटस्थ संबंधी, जैसा कि संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार से कोई इनसाइडर सूचना है, तक पहुंच अथवा उसकी प्राप्ति से कोई लाभ प्राप्त न करें अथवा अन्य व्यक्तियों को कोई लाभ प्राप्त करने में सहायता न करें। कंपनी सचिव की नियुक्ति अनुपालन अधिकारी के रुप में की गई है और वे कथित संहिता का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। संहिता की एक प्रति आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf पर डाली गयी है।

इस 'संहिता' में यूपीएसआई के लीकेज को रोकने और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आन्तरिक नियंत्रणों का समुचित तंत्र स्थापित करने के लिए नीतियां और कार्यविधियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, इसमें यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटन के लिए अपनायी जाने वाली प्रथाओं, प्रक्रियाओं और मानदंडो का भी निर्धारण किया गया है और साथ ही ऐसे वैधानिक उद्देश्यों का भी निर्धारण किया गया है जिनके अध्यधीन आरईसी के विभिन्न पणहोल्डरों और व्यापारिक भागीदारों के साथ यूपीएसआई को साझा किया जा सकता है। इस संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का लेन–देन करते समय किए जाने वाले प्रकटनों और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा अनुपालन न करने के परिणामों का निर्धारण किया गया है।

उक्त संहिता की अपेक्षा के अनुरुप, जब कभी भी कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है तो ट्रेडिंग विंडो समय समय पर बंद की जा रही है; और इस प्रकार ट्रेडिंग विन्डो को बंद करने की सूचना पदनामित कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को बहुत पहले अग्रिम तौर पर जारी कर दी जाती है। इसके अलावा, कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट पर उचित घोषणाएं भी की जाती हैं जिससे कि उन्हें और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को इस विंडो को बंद किए जाने पर कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से रोका जा सके।

14. जालसाजी को रोकने के लिए नीति

जालसाजी का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाई गई संदिग्ध जालसाजी की सूचना देने और जालसाजी संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में जालसाजी की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन जालसाजी का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा जालसाजी हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है।

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ संबंध रखने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिसमें उन्हें किसी जालसाजी में शामिल होने से मना किया गया हो तथा जहां जालसाजी की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो।

iii. कोई भी धोखाधडी का पता चलने अथवा संदेह होने पर इसकी रिपोर्टिंग के लिए नोडल अधिकारी के विवरण और समय–सीमा उपलब्ध कराना।

iv. जालसाजी के मामलों की छानबीन करना।

v. यह आश्वासन देना कि जालसाजी के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

उपर्युक्त नीति आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf पर उपलब्ध है।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों साथ पठित नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन के संबंध में दिशा–निर्देशों के अनुसार एक व्हीसल ब्लोअर नीति कार्य कर रही है। व्हीसल ब्लोअर नीति आरईसी के निदेशकों/कर्मचारियों और/अथवा इसकी सहायक कंपनियों को किसी कथित कुप्रथा अथवा गलत चलन, जिसका कंपनी के व्यापार एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में सक्षम बनाती है। इस नीति के अंतर्गत यथाविहित ढ़ेग से सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की जा सकती है। उपर्युक्त के अलावा, आरईसी ने दिनांक 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी व्हीसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआइ संकल्प) को भी अपनाया है; और उसे कंपनी की "सतर्कता हैंडबुक" में शामिल भी किया गया है। व्हीसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट: https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर भी उपलब्ध है।

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान व्हीसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच बनाने के लिए मना नहीं किया गया है और शिकायतकर्ता को आवश्यकता होने पर समुचित सुरक्षा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

कंपनी की व्हीसल ब्लोअर नीति के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./–
संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएनः 03464342)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22 जुलाई, 2020

16. लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई कुल फीस

आरईसी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए आरईसी के सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क एंटिटी में सभी निकायों, सांविधिक लेखापरीक्षक जिसका एक अंग है, को समेकित आधार पर भुगतान की गई फीस के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
क	सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई फीस		
(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.44	0.44
(ii)	कराधान मामलों के लिए*	0.11	0.28
(iii)	कंपनी के विधिक मामलों के लिए (सीमित समीक्षा फीस शामिल है)	0.35	0.45
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए		
	(क) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/कम्फर्ट लेटर का प्रमाणन	0.40	0.20
	(ख) अन्य प्रमाणन	0.04	0.08
(v)	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.03
	उप–जोड़	**1.38**	**1.48**
ख	लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई फीस के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर जमा	0.14	0.10
	जोड़	**1.52**	**1.58**

**वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में ₹ 0.09 करोड़ की राशि इन आकड़ों में शामिल हैं।*

17. संचार के साधन

i. कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों के अधिकारों तथा पत्र–व्यवहार को कंपनी के समग्र निगमित सुशासन कार्य ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में मानती है और इसीलिए शेयरधारकों तथा अन्य पणधारकों के साथ निरंतर, दक्ष एवं संगत पत्राचार पर जोर देती है।

ii. विश्लेषकों के साथ बातचीत करने के लिए तथा समय पर सूचना उपलब्ध कराने एवं विश्लेषक की बैठक आयोजित करने के लिए कंपनी में एक समर्पित निवेशक संबंध सेल की स्थापना की गई है ताकि निवेशक कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में अवगत हो सकें और एक उपयुक्त फीडबैक प्रणाली विकसित की जा सके जो प्रबंधन और निवेशकों के बीच सूचना के प्रवाह और संचार को प्रभावी बना सके।

iii. कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्टों, आम सभाओं और अपनी वेबसाइट पर प्रकटन तथा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रकटन के द्वारा संवाद बनाए रखती है। कंपनी विश्लेषक की बैठक/अलग–अलग चर्चाओं के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ तथा समय–समय पर निवेशक सम्मेलन में भाग लेकर भी संवाद बनाए रखती है। निवेशक एवं विश्लेषकों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जहां कंपनी का निदेशक मण्डल निवेश करने वाले निवेशक समुदाय से बातचीत करता है। इसके अलावा, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस बैठक का भी आयोजन समय–समय पर किया जाता है। वित्तीय परिणामों पर चर्चा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद नियमित रूप से सम्मेलन कॉल के माध्यम से की जाती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है जिसे सदस्यों को प्रचालित की जाता है और कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।

iv. कंपनी के संबंध में शेयरधारकों से संबंधित सूचना, घोषणाएं और नवीनतम जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in से प्राप्त की जा सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
- स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष समय–समय पर किया गया निगमित प्रकटन
- तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम
- निगमित सुशासन रिपोर्ट
- तिमाही शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- विश्लेषकों के साथ कान्फ्रेंस कॉलों/बैठकों के ट्रांसक्रिप्ट्स
- संस्थागत निवेशकों तथा विश्लेषकों को दिए गए कार्यालयी समाचार (रिलीज), प्रस्तुतीकरण।

v. कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के सारांश स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिए जाते हैं और दॅ इकनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), दैनिक जागरण (हिन्दी), हिंदुस्तान (हिंदी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिन्दी), हिन्दू बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) आदि जैसे राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और सभी अन्य घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

vi. कंपनी समय–समय पर प्रेस रिलीज और निगमित प्रस्तुतीकरण भी करती है और इन्हें आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी अपलोड किया जाता है।

vii. कंपनी की सोशल मीडिया पर भी सक्रिय उपस्थिति है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार, निदेशक मण्डल का वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक नियंत्रण के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक प्रमाण–पत्र दिनांक 17 जून, 2020 को आयोजित

निदेशक मंडल की 469वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भी रखे गए। उपर्युक्त प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–ख** में संलग्न है।

19. सामान्य शेयरधारक की सूचना

i. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक आम बैठक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निम्नलिखित दिन, तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी:

तारीख एवं दिन	समय
शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020	11.00 बजे पूर्वा.

ii. वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2020–21	
लेखांकन अवधि	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020		01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021	
वित्तीय परिणमों की घोषणा	पहली तिमाही	6 अगस्त, 2019	पहली तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर अथवा सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाविहित घोषणा
	दूसरी तिमाही	5 नवंबर, 2019	दूसरी तिमाही	
	तीसरी तिमाही	4 फरवरी, 2020	तीसरी तिमाही	
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	17 जून, 2020(1)	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	तिमाही की समाप्ति से 60 दिन के अंदर अथवा सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाविहित घोषणा
वार्षिक आम बैठक	25 सितंबर, 2020		अगस्त/सितंबर 2021	

टिप्पणी: *(1) कोविड–19 महामारी को देखते हुए, सेबी ने अपने दिनांक 19 मार्च, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/38 के जरिए अन्य बातों के साथ साथ सूचीबद्ध कंपनियों को छूट दी थी कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2020 तक आयोजित हो सकती है।*

iii. लाभांश का भुगतान

क. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 43क के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बाह्य और आंतरिक कारकों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें वे वित्तीय मापदंड भी शामिल हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की अपेक्षा करनी होगी या नहीं करनी होगी।

यह नीति आरईसी की वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर भी उपलब्ध है।

ख. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 114 और समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 11/– प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/– के अंकित मूल्य पर) के रूप में 24 फरवरी, 2020 को अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए किसी भी अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

ग. पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल रकम (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तारीख	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2014–15	987.46	1,056.58	107.00	27 फरवरी, 2015	07 अक्तूबर, 2015
2015–16	987.46	1688.55.	171.00	25 फरवरी, 2016	04 अक्तूबर, 2016
2016–17	1,974.92	1905.79	*96.50	6 मार्च, 2017	9 अक्तूबर, 2017
2017–18	1,974.92	1,807.05	91.50	27 फरवरी, 2018	15 अक्तूबर, 2018
2018–19	1,974.92	2,172.41	110.00	19 मार्च, 2019	–

**वित्तीय वर्ष 2016–17 के बाद से लाभांश का प्रतिशत कंपनी द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण समायोजन के बाद है।*

घ. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरित अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश एवं इक्विटी शेयर

निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित लाभांश की राशियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में लाभांश की रकम और शेयर अनुप्रयोग राशि, जो सात वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत रह गई है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईईपीएफ में स्थानांतरण के कारण निम्नलिखित राशि बन गई, 7 साल की अवधि के लिए अवैतनिक/लावारिस रहने के बाद; और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किए गए थे:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	राशि (₹)	अंतरण की तारीख
2011–12	अंतिम लाभांश	17,11,492	22 नवम्बर, 2019
2012–13	अंतरिम लाभांश	37,01,393	3 अप्रैल, 2020
	कुल	**54,12,885**	

आईईपीएफ में हस्तांतरित ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित मूलधन/ब्याज

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मूलधन के मद में ₹ 1,25,49,461/– की राशि और उस पर ब्याज के मद में ₹ 21,57,160/– को आईईपीएफ में अंतरित किया गया है, जिसे कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अंतरित किया गया है।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और रिफंड) नियमावली, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार सभी शेयरों, जिनके संबंध में लाभांश का दावा लगातार सात वर्षों से नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने प्रत्येक ₹ 10/– के 9528 इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को दिसंबर 2019 में सथानांतरित किए हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या 1,06,567 थी। इसके बाद, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2020 में भी प्रत्येक ₹ 10/– के 2,839 इक्विटी शेयर पुनः आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किए गए।

उपरोक्त लाभांश और/या शेयरों पर दावा करने वाले सदस्य आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म नंबर आईईपीएफ–5 में यथाउल्लिखित फॉर्म, चालान, क्षतिपूर्ति बॉन्ड और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की भौतिक प्रति स्वयं सत्यापित कर एक ऐसे लिफाफे में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजकर दावा कर सकते हैं, जिस पर *"आईईपीएफ प्राधिकरण से रिफंड के लिए दावा"* लिखा होना चाहिए। सभी पहलुओं में पूर्ण किए गए दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के माध्यम से दावेदारों के आधार से जुड़े बैंक खाते में उनके पक्ष में धन की वापसी की जाएगी । ऐसे लाभांश/शेयरों के संबंध में कोई भी दावा कंपनी के खिलाफ नहीं होगा, जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को इस प्रकार हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमावली के नियम 7(2क) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के नोडल अधिकारी हैं:–

नोडल अधिकारी	श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव
इक्विटी शेयरों के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री एम. एल. कुमावत, वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त –सीएस)
डिबेंचर/बॉण्ड के लिए उप–नोडल अधिकारी	श्री जतिन कुमार नायक, वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त)

कंपनी समय–समय पर अखबारों में नोटिस जारी कर रही है ताकि शेयरधारकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा सके और भुगतान न किए गए/अदावाकृत लाभांश के लिए उनकी ओर से अपना दावा प्रस्तुत किया जा सके। सभी शेयरधारकों को यह फिर से सलाह दी है कि वे लाभांश से संबंधित अपने वारंटों तुरंत नकदीकरण करवा लें या पुराने वारंटों के पुनर्वैधीकरण या उनके बदले में डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए कंपनी के आर एंड टीए को लिखें।

कंपनी ने नाम, पता, आईईपीएफ को हस्तांतरित की जाने वाली राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित की जाने वाली राशि की तारीख जैसी सूचना के साथ कंपनी के शेयरधारकों/बॉन्डहोल्डर्स से संबंधित अदावाकृत/भुगतान न की गई राशि के विवरण अपनी www.recindia.nic.in पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा, राशि और शेयरों के निवेशक–वार विवरण, जिन्हें कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है, भी आरईसी की वेबसाइट यानी www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

iv. खाताबही बंद होने की तारीख

51वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

v. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

आरईसी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ईमेल आईडी/वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई – 400 051	टेलीफोन: +91–22– 2659 8100 – 8114 फैक्स: +91– 22 – 2659 8120 ई–मेल आईडी: cmlist@nse.co.in वेबसाइट: www.nseindia.com	RECLTD
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई – 400 001	टेलीफोन: +91–22– 2272 1233/4 फैक्स: +91–22– 2272 1919 ई–मेल आईडी: corp.relations@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	532955

इसके अलावा, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों को भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है । इसके विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं।

vi. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी की गई विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दिया गया है।

vii. पंजीयक और अंतरण एजेंट (आर एंड टीए)

इक्विटी शेयरों और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड),
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 और 32, गाचीबॉवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500,032
फोन: +91–40–6716 2222 ईमेल: balaji.reddy@kfintech.com,
raju.sv@kfintech.com, einward.ris@kfintech.com (इक्विटी शेयरों के लिए), फोन: +91–40–67161659
ई– मेल: gopalakrishna.kvs@kfintech.com (सूचीबद्ध बॉण्ड के लिए)
फैक्स: +91–40–2300 1153 वेबसाइट/ www.kfintech.com

सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड
बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे,
दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली–110062
फोन: +91–11–29961281–83 फैक्स: +91–11–2996 1284
ईमेल: recbonds1@gmail.com, beetalrta@gmail.com
वेबसाइट: www.beetalfinancial.com

viii. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बाजार मूल्य डेटा

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयरों का मासिक प्रदर्शन

माह	एनएसई में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन			निफ्टी का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह की समाप्ति (₹)	उच्च	कम	माह की समाप्ति
अप्रैल 2019	155.90	143.30	147.55	11856.15	11549.1 0	11748.15
मई 2019	150.00	132.60	144.55	12041.15	11108.3 0	11922.80
जून 2019	167.80	143.85	164.80	12103.05	11625.1 0	11788.85
जुलाई 2019	169.55	134.05	140.25	11981.75	10999.4 0	11118 .00
अगस्त 2019	149.70	128.70	144.25	11181.45	10637.15	11023.25
सितम्बर 2019	152.00	121.90	123.15	11694.85	10670.25	11474.45
अक्टूबर 2019	140.50	119.45	139.80	11945 .00	11090.15	11877.45
नवंबर 2019	146.70	133.10	137.90	12158.8 0	11802.65	12056.05
दिसंबर 2019	144.70	127.85	143.10	12293.90	11832.3 0	12168.45
जनवरी 2020	149.30	129.70	143.70	12430.5 0	11929.6 0	11962.1 0
फरवरी 2020	156.50	116.70	117.80	12246.7 0	11175.05	11201.75
मार्च 2020	124.60	78.75	88.75	11433 .00	7511.1 0	8597.75

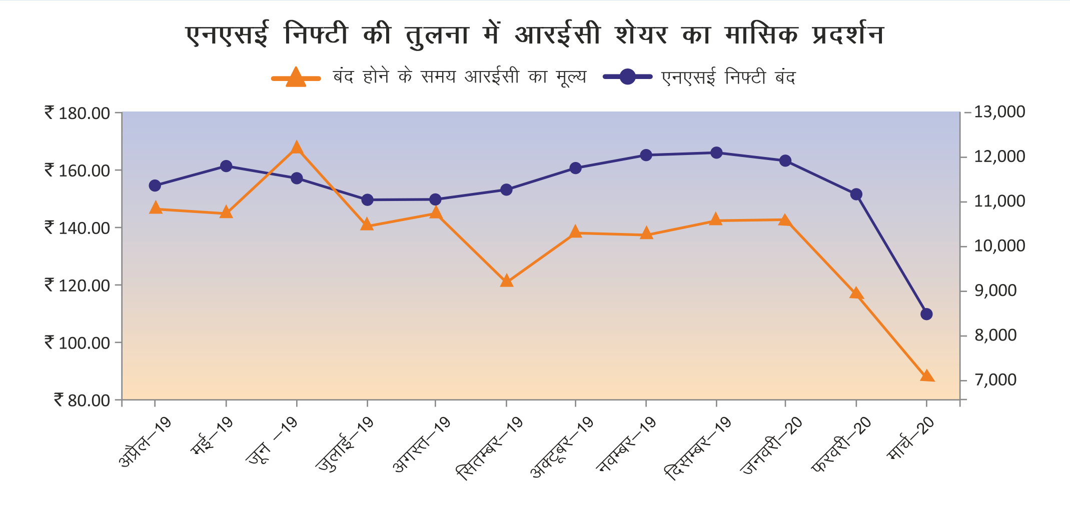

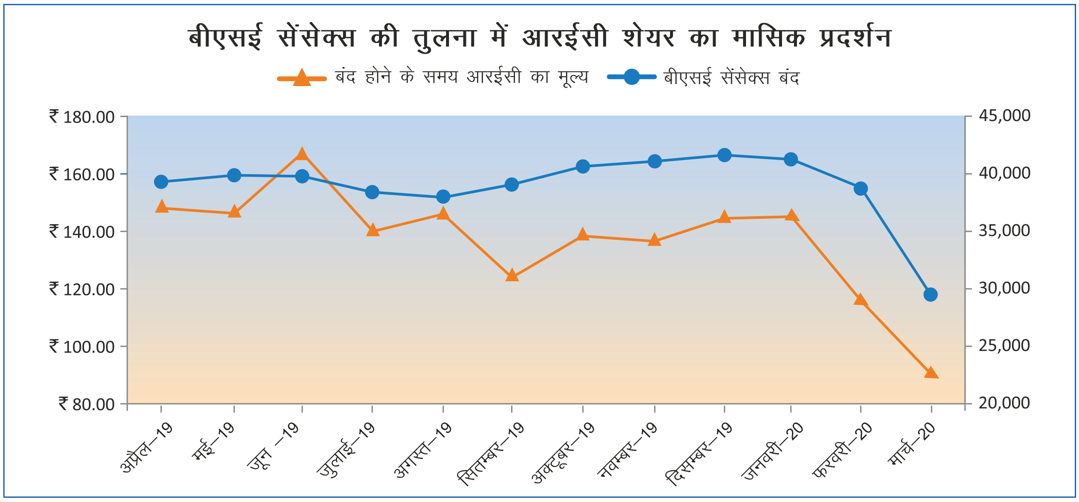

बीएसई सेंसेक्स के संचलन की तुलना में आरईसी के शेयर का मासिक प्रदर्शन

माह	बीएसई में आरईसी शेयर का मासिक प्रदर्शन			बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
	उच्च (₹)	कम (₹)	माह की समाप्ति (₹)	उच्च	कम	माह की समाप्ति
अप्रैल 2019	155.90	143.50	147.55	39,487.45	38,460.25	39,031.55
मई 2019	149.70	132.75	144.45	40,124.96	36,956.10	39,714.20
जून 2019	167.75	143.90	164.70	40,312.07	38,870.96	39,394.64
जुलाई 2019	169.55	134.30	140.20	40,032.41	37,128.26	37,481.12
अगस्त 2019	149.65	128.75	144.20	37,807.55	36,102.35	37,332.79
सितंबर 2019	152.50	122.00	123.10	39,441.12	35,987.80	38,667.33
अक्टूबर 2019	140.40	119.10	139.80	40,392.22	37,415.83	40,129.05
नवंबर 2019	146.70	133.20	137.85	41,163.79	40,014.23	40,793.81
दिसंबर 2019	144.70	127.90	143.25	41,809.96	40,135.37	41,253.74
जून 2020	149.10	129.60	143.70	42,273.87	40,476.55	40,723.49
फरवरी 2020	157.25	116.75	118.00	41,709.30	38,219.97	38,297.29
मार्च 2020	124.55	79.00	88.75	39,083.17	25,638.90	29,468.49

ix. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी ने 3 दिसंबर, 2018 को अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामलों को छोड़कर) को लागू करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रतिभूतियों को किसी डिपॉजिटरी में डिमैटेरियालाइज्ड फॉर्म में जमा नहीं किया जाता है। तदनुसार, सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरहोल्डिंग को भौतिक रूप से डीमैट रूप में जल्द से जल्द परिवर्तित करें, किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ या तो मौजूदा डीमैट खाते में अथवा नया डीमैट खाता खोलकर उसे परिवर्तित किया जाए।

प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयर तक भौतिक खंड के तहत ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, विभाजन और समेकन के अनुरोधों पर कंपनी की और से इसके आर एंड टीए, केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के मामले में भौतिक सेगमेंट के तहत ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, स्प्लिटिंग और कंसॉलिडेशन और डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमसवली के विनियम 40(9) और (10) के अनुपालन में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी द्वारा शेयर अंतरण संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया है, की पुष्टि करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर छमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का सभी अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया गया।

x. शेयरधारिता का प्रतिरूप/शेयरधारिता का वितरण

(क) स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का प्रतिरूप

वर्ग	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	1,03,94,95,247	52.63	1,03,94,95,247	52.63
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक	53,30,40,782	26.99	49,95,96,483	25.30
म्यूचुअल फंड्स	17,42,48,844	8.82	20,43,49,699	10.35
निवासी व्यक्ति	11,15,58,942	5.65	11,63,30,510	5.89
बीमा कंपनियां	5,86,90,900	2.97	6,17,62,206	3.13
निगमित निकाय	1,88,95,069	0.96	1,91,21,836	0.97
समाशोधन सदस्य	29,38,620	0.15	83,35,517	0.42
बैंक	43,01,384	0.22	63,12,568	0.32
एचयूएफ	60,19,507	0.30	58,81,424	0.30
न्यास	27,26,714	0.14	54,84,817	0.28
अनिवासी भारतीय	31,28,400	0.16	37,93,231	0.19
भारतीय वित्तीय संस्थान /क्यूआईबी	1,62,00,637	0.82	19,68,545	0.10
अनिवासी भारतीय– जो वापस नहीं आने वाले हैं	14,91,158	0.08	13,84,708	0.07
कर्मचारी	9,02,884	0.05	8,46,622	0.04
अन्य – (आईईपीएफ और एआईएफ)	12,76,567	0.06	2,39,794	0.01
एनबीएफसी	2,345	नगण्य	14,793	नगण्य
कुल	**1,97,49,18,000**	**100%**	**1,97,49,18,000**	**100%**

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आरईसी की शेयरधारिता का प्रतिरूप

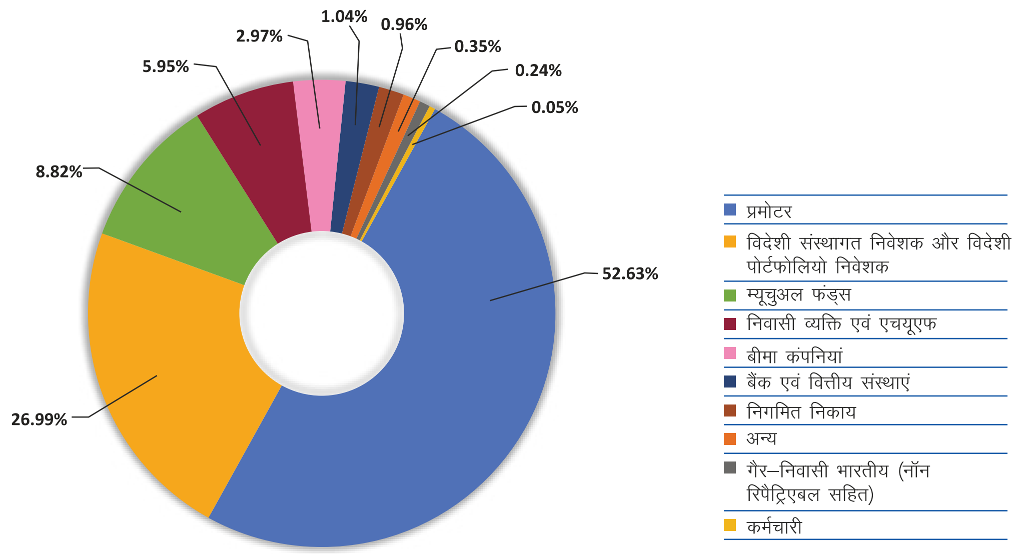

(ख) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरधारकों का %	कुल शेयर	शेयरों का %
1–5000	283,861	88.15	39,859,182	2.02
5001 –10000	20,081	6.24	15,840,545	0.80
10,001–20,000	9646	2.99	14,337,745	0.73
20,001–30,000	2827	0.88	7,231,601	0.37
30,001–40,000	1,294	0.40	4,655,447	0.23
40,001–50,000	920	0.29	4,315,137	0.22
50001–100000	1,618	0.50	1,16,16,422	0.59
100001 और उससे अधिक	1,784	0.55	1,877,061,921	95.04
कुल	**3,22,031**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xi. शेयर डीमैटरियलाइजेशन और तरलता

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटरियलाइज्ड खंड में हैं और दोनों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के सिस्टम के तहत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। निक्षेपागारों (डिपोजीटरी) के पत्राचार विवरण निम्नानुसार हैं:

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई 400013 दूरभाष: +91–22–2499 4200 टोल फ्री नंबर: 1800 222 990 ई–मेल आईडी: relations@nsdl.co.in, info@nsdl.co.in वेबसाइट: www.nsdl.co.in	मैराथन फ्यूचरेक्स, ए– विंग, 25वीं मंजिल एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल मुंबई 400013 दूरभाष: +91 – 22 – 2305 8640 / 8624 / 8639 / 8642 / 8663 टोल फ्री नंबर: 1800 22 5533 ईमेल आईडी: helpdesk@cdslindia.com, complaints@cdslindia.com वेबसाइट: www.cdslindia.com

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार डीमैटेरियालाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

वर्ग	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल जारी किए शेयरों का%
भौतिक	13,458	35,749	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	1,89,365	1,92,79,45,866	97.62
सीडीएसएल (डीमैट)	1,19,208	4,69,36,385	2.38
कुल	**3,22,031**	**1,97,49,18,000**	**100.00**

xii. शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट का पुनर्मिलान

वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सिकंदराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ कंपनी की कुल स्वीकृत, जारी और सूचीबद्ध शेयर पूंजी का पुनर्मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद *शेयर पूंजी का पुनर्मिलान लेखापरीक्षा रिपोर्ट* जारी की है, जिसे कंपनी द्वारा निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्टों से बात कि पुष्टि हुई है कि कुल जारी / प्रदत्त शेयर पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ रखे गए डीमैटेरियालाइज्ड शेयरों की कुल संख्या से मेल खाते हैं अर्थात बराबर हैं।

xii. डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाते के विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लाया, जिसमें कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक रु10/– के नए 780,60,000 इक्विटी शेयर और भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा इतनी ही संख्या में इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल थी। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों के फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) लाए, जिसमें कंपनी द्वारा जारी किए गए नए 12,87,99,000 इक्विटी शेयर और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 42933,000 इक्विटी शेयर की बिक्री के लिए प्रस्ताव शामिल था ।

सेबी (एनओडीआर) विनियमावली के विनियमन 34(3) और अनुसूची V के भाग 'च' की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आईपीओ के संबंध में डी–मैट उचंत खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों के विवरण निम्नानुसार थे (सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं, एफपीओ से संबंधित अदावाकृत शेयरों के कोई मामले नहीं हैं):

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1	1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार उचंत खाते में शेयरधारकों और बकाया अदावाकृत शेयरों की एकीकृत संख्या।	36	5478
2	वित्तीय वर्ष के दौरान उचंत खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
3	उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वित्तीय वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयर उचंत खाते से अंतरित किए गए।	शून्य	शून्य
4	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उचंत खाते में शेयरधारकों की एकीकृत संख्या और बकाया अदावाकृत शेयर।	36	5478

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उचंत खाते में बकाया शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक स्थिर बने रहेंगे, जब तक कि ऐसे शेयरों के सही मालिक द्वारा उनका दावा नहीं किया जाता है।

xiv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव।

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए गए हैं।

xv. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण फीस

कंपनी ने अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक सूचीकरण फीस का भुगतान किया है।

xvi. डिपॉजिटरी को वार्षिक कस्टोडियल फीस

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक कस्टोलियल फीस का भुगतान किया है।

xvii. प्लांट स्थल

कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है और इसका कोई प्लांट स्थल नहीं है । हालांकि, नई दिल्ली में पंजीकृत और कॉर्पोरेट

कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय/उप–कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिसके पते इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिए गए हैं।

xviii. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी का सीआईएन L40101DL1969GOI005095 है।

xix. पत्राचार के लिए पता

आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)*
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत
दूरभाषः +91–11– 43091500/1501 , फैक्सः +91–11–2436 0644
ईमेलः contactus@recl.in

xx. कारपोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.nic.in है।

xxi. अनुपालन अधिकारी और सार्वजनिक प्रवक्ता

श्री जे. एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव
आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)*
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003, भारत
दूरभाषः +91 –11–2436 7305, फैक्सः +91–11–2436 2039
ई–मेलः compliancеofficer@recl.in, jsamitabh@recl.in

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएनः 03464342

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त , 2020

अनुबंध–क

निदेशकों को अयोग्य न ठहराने का प्रमाण–पत्र

[सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची–V के पैरा –ग के खंड (10) (i) और विनियम 34(3) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य,
आरईसी लिमिटेड,
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जा रही संगत पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणी और आरईसी लिमिटेड *(पूर्व में रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)* जिसका सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा गया है) है के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची–V के पैरा–ग खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, की जांच की है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापनों www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित, के अनुसार जिसे आवश्यक माना गया है और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रुप में नियुक्त किए जाने अथवा उनके जारी रहने से वंचित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्त होने की तिथि
1.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613	01 अगस्त, 2012
2.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	16 अक्टूबर, 2015
3.	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	03426753	02 सितंबर, 2019
3.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	03548218	18 जून, 2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपने सत्यापन पर आधारित उसके संबंध में मत प्रकट करना है। यह प्रमाण–पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता अथवा प्रभाविता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः एफ6033
सीपी सं.: 6370
यूडीआईएनः F006033B000330148

दिनांक : 09 जून, 2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–ख

प्रमाण–पत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत

16 जून, 2020

यह प्रमाणित किया जाता है किः

क. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

i. इन विवरणों में ऐसा कोई मिथ्या विवरण निहित नहीं है अथवा किसी वास्तविक कारक को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसा कोई विवरण निहित नहीं है, जो कि भ्रामक हो;

ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का एक सच्चा और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों की अनुपालना करते हैं।

ख. हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण हो, गैर–कानूनी हो अथवा कंपनी की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग. हम वित्तीय संसूचना के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और यह कि वित्तीय संसूचना के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के प्रकार अथवा प्रचालन में कमियां, यदि कोई हों, को प्रकट किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और हमने इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों को भी प्रकट किया है।

घ. हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इस बात का उल्लेख किया हैः

i. वर्ष के दौरान वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; और

iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनकी हमें जानकारी है और प्रबंधन की उसमें भागीदारी, यदि कोई हो, अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी जानकारी है।

ह./–	ह./–
(अजय चौधरी)	**(संजीव कुमार गुप्ता)**
निदेशक (वित्त)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
डीआईएनः 06629871	**सह निदेशक (तकनीकी)**
	डीआईएनः 03464342